

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 1973/पौष 27, 1894

No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 1973/PAUSA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January 1973

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, in the Schedule, under the heading "MINISTRY OF DEFENCE", after entry 9, the following entry shall be inserted, namely:—

"10. Military Lands and
Cantonments Directorate."

Director/Joint Director,
Deputy Director, at
Headquarters."

[No. F. 3/6/72-Public I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

भू-मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1973

का०आ० 23 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 में और संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 की अनुसूची में “रक्षा मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“10 सैनिक भूमि और
छावनी निदेशालय।

मुख्यालय में निदेशक/संयुक्त
निदेशक/उप निदेशक।”

[सं० फा० 3/6/72—चौक 1]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।